

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 02/2012	विक्रम संवत् 2068	4(शु0) माघ 1933 (शा0) जमशेदपुर, शुक्रवार, 27/01/12
विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1, स्वर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये भू-अर्जन विभाग का अधिघोषणा।		
विषय सूची 1. भू-अर्जन विभाग से सम्बंधित अधिघोषणा।		पृष्ठ संख्या 01-11

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -47 / जमशेदपुर दिनांक - 11.01.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मौलाशोली परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- 185, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 43 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- मौलाशोली थाना नं0-185 के भीतर भूमि का 1 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.05 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या 972

चौहदी

उत्तर :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम मोहनपुर थाना नं0 186
दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या 971, 972, 995, 976 एवं 989
पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम भादुआ थाना नं0 184
पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-989, 976, 995, 972 एवं 971

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या 971, 975, 976 एवं 989 का रकवा 4.38 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

लगातार-2

(2)

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 47 / जमशेदपुर, दिनांक - 11.01.2012
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -48

/

जमशेदपुर दिनांक - 11.01.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-उपरशोली चादर नं०-1 परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 150, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 43 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित

लगातार-3

(3)

किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— उपरशोली चादर नं०-1 थाना नं०-150 के भीतर भूमि का 3 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 0.13 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरा की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का अंश खेसरा संख्या 424, 420 एवं 419

चौहदी

उत्तर :- मिलान चादर नं०-2

दक्षिण :- मिलान चादर नं०-2 एवं अंश खेसरा संख्या 414

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम मोहनपुर थाना नं० 186

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-424, 420, 419, 415 एवं 419

नोट :- वनभूमि का खेसरा संख्या 415 एवं 414 का रकवा 0.65 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 48 / जमशेदपुर, दिनांक - 11.01.2012
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

लगातार-4

(4)

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -49

/

जमशेदपुर दिनांक - 11.01.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-उपरशोली चादर नं०-2 परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं०- 150, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ० आर० 43 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- उपरशोली चादर नं०-2 थाना नं०-150 के भीतर भूमि का 30 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 4.365 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का पूर्ण खेसरा संख्या 553 तथा अंश खेसरा संख्या 657, 656, 659, 660, 661, 662, 666, 667, 671, 670, 567, 566, 558, 559, 556, 557, 549, 550, 551, 552, 587, 596, 605, 597, 590, 604, 599, 603, 601

चौहदी खण्ड-क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-1035, 654, 657, 658, 659, 661, 669, 662, 666, 667, 671, 670, 558, 557 एवं 549

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम जरपुगोड़ा, थाना नं० 148, संयुक्त सीमा रेखा ग्राम पानीजिया थाना नं० 149

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-556, 557, 558, 566, 567, 579, 662, 661, 659, 658, 656, 654, 1035 एवं पूर्ण खेसरा संख्या-578

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-550

चौहदी खण्ड-ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-549 एवं 556

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-550, 551, 552, 556, 553, 605, 604, 603, 609, 626 एवं 627

पूरब :- मिलान चादर नं०-1

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या-550, 552, 557, 596, 597, 590, 599, 601, 602, 609, 1090, 626 एवं पूर्ण खेसरा संख्या-447 तथा मिलान चादर नं०-1

लगातार-5

(5)

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या 654, 663, 579, 602, 1090 का रकबा 0.475 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या 1035, 658, 609, 626, 627 का रकबा 6.73 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 49 / जमशेदपुर, दिनांक - 11.01.2012
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -50 / जमशेदपुर दिनांक - 11.01.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-
हईलदाजूड़ी परगना.....,थाना-घाटशिला, थाना नं0- 129,जिला-पूर्वी सिंहभूम में सार्वजनिक

लगातार-6

(6)

प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 आर0 43 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— हईलदाजूड़ी थाना नं0—129 के भीतर भूमि का 8 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 1.04 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरो की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जनाधीन भूमि का 1113, 1126, 1127, 1142, 1140, 1128, 1139 एवं 1136

चौहदी खण्ड—क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—1113 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बेहड़ा, थाना नं0 130
दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बेहड़ा, थाना नं0 130
पूरब :- अंश खेसरा संख्या—1143 एवं 1142
पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—1113, 1126 एवं 1127

चौहदी खण्ड—ख

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या—1142, 1140, 1141, 1128, 1137, 1136 एवं 1055
दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम बेहड़ा, थाना नं0 130
पूरब :- अंश खेसरा संख्या—1055, 1138, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142 एवं 1143 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम जरपुगोड़ा, थाना नं0 140
पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या—1055

नोट :- अनावार झारखण्ड सरकार भूमि का खेसरा संख्या 1143, 1141, 1137, 1138 का रकबा 2.94 एकड़ तथा वनभूमि का खेसरा संख्या 1055 का रकबा 1.26 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू -अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

लगातार—7

(7)

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा ।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

ज्ञापांक - 50 / जमशेदपुर, दिनांक - 11.01.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर ।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -51 / दिनांक -11.01.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - **बेहड़ा**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **130**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ओ0 एल0-43 लघु नहर निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम- **बेहड़ा थाना नं0-130** के भीतर भूमि का **97** टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो **16.59** एकड़ के बराबर होता है जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

अर्जनीय प्लॉट संख्या एवं सीमा सूची निम्नांकित है :-

अर्जनाधीन भूमि की पूर्ण खेसरा संख्या-558, 609, 383, 927, 961, 947 तथा अंश खेसरा संख्या- 514, 510, 513, 511, 533, 512, 536, 540, 535, 541, 539, 542, 553, 557, 552, 543, 559, 560, 561, 562, 563, 568, 569, 572, 570, 571, 585, 586, 625, 626, 624, 619, 618, लगातार-8

(8)

617, 615, 608, 610, 611, 397, 1033, 388, 387, 385, 386, 381, 382, 384, 377 375, 378, 374, 373, 786, 787, 803, 802, 795, 788, 790, 890, 899, 900, 905, 906, 986, 908, 909, 910, 911, 924, 925, 926, 930, 928, 929, 931, 933, 932, 935, 964, 938, 940, 962, 945, 944, 946, 960, 948, 951, 949 एवं 952

चौहदी खण्ड-क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-510, 511, 540, 535, 541, 553, 557, 563, 562, 565, 572, 571, 585, 586, 618, 617, 615, 608, 609, 388 एवं 387

पूरब :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - पलाशवनी, थाना नं0 143

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या-514, 513, 512, 540, 536, 539, 542, 552, 559, 560, 568, 570, 626, 624, 619, 615, 610, 611 एवं 1033

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-387, 385 एवं 386

चौहदी खण्ड-क

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या-385, 386 एवं 1033

पूरब :- अंश खेसरा संख्या-381, 382, 378, 374, 778, 787, 788, 789, 891, 890, 899, 900, 905, 906, 886, 908, 910, 911, 912, 924, 925, 930, 931, 932, 935, 965, 964, 962, 961, 960, 949 एवं 952

दक्षिण :- संयुक्त सीमा रेखा ग्राम - हईलदाजुड़ी, थाना नं0 129

पश्चिम:- अंश खेसरा संख्या-385, 384, 377, 374, 373, 803, 802, 795, 788, 789, 790, 890, 899, 905, 906, 886, 885, 919, 910, 913, 912, 924, 936, 927, 928, 929, 933, 934, 935, 938, 940, 944, 945, 946, 947 एवं संयुक्त सीमा रेखा ग्राम-हईलदाजुड़ी, थाना नं0-129

नोट :- अनावार झारखण्ड भूमि का खेसरा संख्या-963, 965, 934, 885, 891, 789, का रकबा 0.97 एकड़ तथा वन भूमि का खेसरा संख्या-913, 912 का रकबा 0.39 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त किया गया है।

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

लगातार-9

(9)

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं0-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह0/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 51 /

जमशेदपुर,

दिनांक -11.1.2012

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

झारखण्ड सरकार,
समाहरणालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
। भू-अर्जन शाखा ।
अधिघोषणा

संख्या -59 /

जमशेदपुर

दिनांक - 11.1.2012

चूँकि अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-**दिधी चादर नं0-1**, परगना, थाना-घाटशिला, थाना नं0- **346**, जिला-पूर्वीसिंहभूम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात ओ0 आर0 **55 लघु वितरणी** निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि

लगातार-10

(10)

उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वक्त ग्राम— दिधी चादर नं०-1, थाना नं०-346 के भीतर भूमि का 42 टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश जो 5.785 एकड़ है जिसकी अर्जनाधीन खेसरों की संख्या तथा चौहदी निम्न प्रकार है :-

अर्जित रकवा 1.03 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा संख्या — 360, 355, 358, 370, 371, 372, 373, 375, एवं 356

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या 360, 355, 358, 370, 371, 372, 373, 375 एवं 356

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या 371, 372, 373 एवं 375

पूरब :- अंश खेसरा संख्या 375 मिलान चादर नं०-2

पश्चिम :- संयुक्त सीमारेखा ग्राम-पुरनापानी, थाना नं०-354

नोट :- वन भूमि का खेसरा संख्या आर० ई० रकवा 1.20 डि० अर्जन से मुक्त कर दिया गया।

खण्ड (क)

अर्जित रकवा 4.755 एकड़

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा संख्या — 57, 56, 55, 54, 53, 74, 52, 70, 71, 72, 116, 115, 114, 112, 91, 90, 92, 93 वेनम्बरी 381, 398, 413, 414, 981, 419, 984, 418, 420, 421, 89, 56, 69 एवं 111

चौहदी

उत्तर :- अंश खेसरा संख्या 57, 56, 55, 54, 53, 74, 52, 70, 71, 72, 116, 115, 114, 112, 91, 90, 92, 93 वेनम्बरी 381, 398, 413, 414, 981, 419, 984, 418, 420, 421, 89, 56, 69 एवं 111

दक्षिण :- अंश खेसरा संख्या 57, 56, 55, 54, 53, 74, 52, 70, 71, 72, 116, 115, 114, 112, 91, 90, 92, 93 वेनम्बरी 381, 398, 413, 414, 981, 419, 984, 418, 420, 421, 89, 56, 69 एवं 111

पूरब :- अंश खेसरा संख्या 421 एवं मिलान चादर नं०-2

पश्चिम :- अंश खेसरा संख्या 57 एवं संयुक्त सीमारेखा ग्राम-सुगनीवासा, थाना नं०-344

लगातार-11

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदवाना, हटाया या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा - 6 और अधिनियम 18,1885 की धारा -3 के खण्ड 1 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सं०-1 सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

ह/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।

ह०/-

अपर उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

ज्ञापांक - 59 / जमशेदपुर, दिनांक -11.1.2012
प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर / उदितवाणी/हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ / उप-समाहत्ता प्रभारी, जिला गजटशाखा, पूर्वीसिंहभूम, जमशेदपुर को जिला जगट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-1,
सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो, जमशेदपुर।